मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-5-/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 92

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि "प्रत्येक शासकीय सेवक शासन को रिपोर्ट करेगा, यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य व्यापार या कारोबार में लगा हो या किसी इन्श्यूरेन्स एजेन्सी या आढ़त कमीशन का स्वामित्व रखता हो या प्रबंध करता हो". इस नियम के उपनियम "1" की व्याख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि "शासकीय सेवक द्वारा, उसकी पत्नी या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रवंधित बीमा एजेन्सी, आढ़त (कमीशन एजेन्सी) आदि के कारोबार के समर्थन में किया गया प्रचार इस उपनियम का उल्लंगन होगा"

2. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय सेवक पत्नी या अपने पुत्र/पुत्री के नाम से स्वय व्यापार या व्यवसाय जिसमें बीमा एजेन्सी भी शामिल है, करते हैं. यह कृत्य आपत्तिजनक है. अतः आचरण नियमों के उपयुक्त प्रावधानों की ओर पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नियमों के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत" दण्ड देने की कार्यवाही की जाए.

3. शासन अपेक्षा करता है कि उपयुक्त निर्देशानुसार कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-5/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 92

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म.प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, म.प्र. भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक.
4. प्रमुख सचिव,/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी म.प्र. सचिवालय, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/महाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.